



भारत सरकार / Government of India
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce & Industry,
विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner,
सीप्ज़ – विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई / Andheri (East), Mumbai – 400 096



कार्यालय आदेश सं. ८८ /२०१९

श्री सी.पी.एस. चौहान, सं. विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज, के कार्यभार ग्रहण किए जाने के फलस्वरूप, विकास आयुक्त, सीप्ज़-सेज उन्हे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत केंजसूअ, सीप्ज़-सेज के आदेशों के विरुद्ध फाइल किए जाने वाली अपील संबंधी मामलों को निश्चित करने हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

यह विकास आयुक्त, सीप्ज-सेज के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

L145

(राज कुमार)

सहा. विकास आयुक्त / प्रशा.

सं. सीप्ज-सेझ/प्रशा./सकाअ-अपील/217/2012-13/वॉल्यू-XIII/19229

दिनांक ०१ /१०/२०१९

प्रति,

1. विआका/संविआका
 2. संबंधित अधिकारी
 3. सभी अनुभाग
 4. कार्यालय आदेश फाइल/कार्यालय आदेश रजिस्टर
 5. सूचना पटल
 6. आयटी अनुभाग.... इस निदेश के साथ की वे इसे कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

जानकारी हेतु प्रतिलिपि:

श्री बिद्युत बेहारी स्वेन, अतिरिक्त सचिव तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली – 110011.

२१५-